कार्यालय: - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक 46% / दो-12-01 / 2016 विदिशा, दिनांक / 12 / 2023

<u>माननीय रजिस्टी जबलपुर का ज्ञापन क0 रजि.(आईटी)/2023/09</u> जबलप्र, दिनांक 04.12.2023 की प्रतिलिपि :-

- 01. जिला स्थापना पर पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण
- 02. रीडर टू प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा

की ओर उक्त ज्ञापन की प्रति पृष्ठांकित कर निर्देशित किया जाता है कि वह ज्ञापन के पालन हेतु सिंकोनाइजेशन अवधि (31.12.2023 तक) में सी0आई0एस0 डाटा को पूर्ण रूप से अपडेट करलें और इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी मामला / प्रकरण अदिनांकित नहीं होना चाहिए और छुट्टी के दिन भी कोई मामला अपडेट नहीं किया जाना चाहिए।

03. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग विदिशा / गंजबासौदा / सिरोंज / कुरवाई / लटेरी

की ओर उक्त ज्ञापन की प्रति पृष्ठांकित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने मुख्यालय पर पदस्थं जे०एस०ए०/सिस्टम असिस्टेंट/आई.टी. असिस्टेंट को निर्देशित कर ज्ञापन अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ताकि अनुपालन रिपोर्ट उच्च न्यायालय की रजिस्द्री को प्रस्तृत की जा सके।

04. जे0एस०ए० जिला न्यायालय विदिशा

की ओर उक्त ज्ञापन की प्रति पृष्ठांकित कर निर्देशित किया जाता है कि ज्ञापन अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही सी०आई०एस० डाटा के संबंध में किसी न्यायालय का प्रकरण अनडेटेड पाया जाता है तो उसके संबंध में तत्काल कार्यवाही करते हुए कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

प्रधान जिला एवं स्मन्त्र न्यायाधीश

🖉 विदिशा म.प्र.

6023 5/12/2023

DSA.



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

No. Registrar(I.T.)/2023/09

Jabalpur, Dated: <u>04-12-2</u>023

:: **MEMO** ::

_
α

The Principal District and Sessions Judge, All District and Sessions Courts in the State of M.P. District -

Sub:

Regarding to ensure updation of CIS data meticulously and aligned with the NJDG.

Respected Sir/Madam

On the abovementioned subject, it is to inform that the Hon'ble Chief Justice vide order 01.12.2023 has directed to ensure updation of CIS data meticulously and aligned with the NJDG. This synchronization should be accomplished by **December 31, 2023**. Further it has also been directed that to no cases should be undated in any court and no case should be updated in the holiday as well.

The User IDs of NJDG have already been provided to all the District Court and technical team under District Courts has to maintain data in NJDG portal systematically. It is requested to form a team and fixed responsibility for compliance of above directions to avoid any shortcomings or errors in future.

In this regards, may direct your technical team to coordinate with Shri Arvind Mehra, System Officer (Mob: 8305977966).

Therefore, please process the matter accordingly and submit the compliance report to the Registry of the High Court.

कार्यालय/प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश विविशा म.प्र आवक क्र 10.29.....

Regards,

(Samresh Singh) Registrar (I.T.)

E-mail:-regitmphc@mp.gov.in

Ph:-0761-2600628